उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–23/2018–19

मु0 कलीमुद्दिन

बनाम्

मु0 खुर्शीद वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 03-05

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्व कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान में अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मु0 कलीमुद्दिन, पे0–स्व0 शेख जहीरूद्दिन , सा0–डोय, थाना–मेहरमा, अनुमंडल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–158/2016–17 के आदेश दिनांक–03.02.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–158/16–17 के आदेश दिनांक–03.02.2018 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–डोय नं0–321 जमाबंदी सं0–11 कुल रकवा 401–18–01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कमरूद्दिन पे0–शेख दयाली के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत कमरूद्दिन को दो पुत्र शेख जलालुद्दिन एवं शेख जहीरूद्दिन हुए। प्रश्नगत जमाबंदी की जमीन को दोनों भाई ने आधा–आधा करके बँटवारा कर लिया है और बँटवारा के अनुसार दोनों भाई को लगभग 200 बीघा करके हिस्से में जमीन प्राप्त हुआ। शेख जहीरूद्दिन को दो पत्नि बीबी हमीदा एवं बीबी बुधिया थी और आपसी बँटवारा के अनुसार दोनों को लगभग 100 बीघा करके हिस्से में जमीन प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार जहीरूद्दिन के दूसरे पत्नि बीबी बुधिया के पुत्र समीम इकबाल एवं कलीमुद्दिन को लगभग 100 बीघा जमीन प्राप्त हुआ। उक्त बँटवारा टाईटल पार्टीशन सूट नं0–20/91 के द्वारा किया एवं टाईटल एक्सक्यूशन केश नं0–157/2006 द्वारा दखल भी दिलाया गया। बँटवारा के अनुसार दोनों भाई को 49–08–12–12/2 धुरकी करके जमीन प्राप्त हुआ है और बँटवारा

के अनुसार दोनों भाई अपने–अपने हिस्से की जमीन पर हकदार एवं दखलकार हुए। अपीलकर्त्ता ने अपने हिस्से की जमीन का नामांतरण वाद संख्या–25/2012 के द्वारा नामांतरण भी करा लिया है एवं मालगुजारी देकर लगान रसीद भी प्राप्त करते आ रहें हैं। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–521 रकवा 00–02–00 धुर जमीन जो बँटवारा के अनुसार अपीलकर्त्ता को प्राप्त हुआ है, की जमीन को उत्तरवादी मु0 खुर्शीद ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया था। उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में वाद दायर किया था। निम्न न्यायालय ने गलत आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया है, जिसके वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन अंगीकार करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी मु0 खुर्शीद के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–डोय नं0–321 जमाबंदी सं0–11 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कमरूद्दिन मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के जमीन का सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, गोड्डा के टाईटल पार्टीशन सूट नं0–20/91 के द्वारा बँटवारा हो गया था एवं टाईटल एक्टक्यूशन केश नं0–157/06 के द्वारा दखल दिहानी हो गया था। दखल दिहानी के बाद दोनों भाई मु0 शमीम इकबाल एवं मु0 कलीमुद्दिन ने अपने–अपने हिस्से की जमीन र दखलकार हुए और अपीलकर्त्ता ने अपने हिस्से की जमीन अंचल अधिकारी, मेहरमा के मुटेशन केश नं0–25/2012 के द्वारा अपने नाम से नामांतरण भी करा लिया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का यह कहना कि विवादित जमीन संयुक्त दखल की जमीन है, विल्कुल ही गलत है। उनका आगे कथन है कि मु0 शमीम इकबाल की मृत्यु दिनांक–16.06.2020 को ही गयी है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नि मो0 इशरात एवं उनकी आठ पुत्रियाँ उनके हिस्से की जमीन पर

हकदार एवं दखलकार हुई। उत्तरवादी मु0 खुर्शीद, मु0 शमीम इकबाल की पुत्री लुबना इकबाल की ससूर है। उक्त जमीन लुबना इकबाल को प्राप्त है। इसलिए यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के उल्लंघन का मामला नहीं है। बल्कि उक्त जमीन शमीम इकबाल की पुत्री लुबना इकबाल को अपने पिता से प्राप्त है और पुत्री को भी अपने पिता की सम्पति पर स्वत्व एवं अधिकार है। इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश सही एवं नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–154/रा0 दिनांक–22.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डोय, मौजा संख्या–321 के खतियान में जमाबंदी नं0–11 कुल रकवा 401–18–01 धुर जमीन जमाबंदी रैयत शेख कमरूद्दिन वल्द शेख दयाली कौम शेख शा0 देह के नाम से दर्ज है। स्थानीय जाँच एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जमाबंदी रैयत शेख कमरूद्दिन के दो पुत्र क्रमशः शेख जलालुद्दिन एवं शेख जहीरूद्दिन थे। शेख जहीरूद्दिन की दूसरी पत्नि बीबी बुधिया से दो पुत्र क्रमशः मु0 शमीम इकबाल एवं मु0 कलीमुद्दिन हुए। दोनों पुत्र जमाबंदी रैयत शेख कमरूद्दिन के पोते हुए। सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के केश नं0–टाईटल एक्टक्यूशन केश नं0–157/06 के तहत मु0 शमीम इकबाल एवं मु0 कलीमुद्दिन पे0–स्व0 जहीरूद्दिन को जमाबंदी नं0–11 के अन्तर्गत कुल 99–17–05 धुर जमीन प्राप्त हुआ है, जिसकी दखल दिहानी सं0–टाईटल एक्टक्यूशन केश नं0–157/06 द्वारा दखल प्राप्त है। आवेदक मु0 कलीमुद्दिन ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत 49–08–12–12.5 धुर जमीन अंचल अधिकारी, मेहरमा के नामांतरण वाद संख्या–25/12 के द्वारा करवाया गया है। नामान्तरण वाद संख्या–25/12 के द्वारा दाग नं0–521 के अन्तर्गत 00–17–16 धुर रकवा उन्हें नामान्तरित है। आगे प्रतिवेदित किया है कि स्थानीय पूछताछ के क्रम में एवं दोनों भाईयों के बीच हुए आपसी बँटवारानामा दिनांक–10.06.2009 की प्रति के अवलोकन से मालुम हुआ कि दोनों भाईयों की सहमति से पर्चा के दाग नं0–521 के अन्तर्गत आवेदक के बड़े भाई मु0 शमीम इकबाल को 00–19–11 धुर तथा

आवेदक मु0 कलीमुद्दिन को 00-16-01 धुर जमीन प्राप्त है। इस प्रकार दोनों की सहमति बँटवारे में उक्त दाग नं0-521 में मु0 शमीम इकबाल को आवेदक मु0 कलीमुद्दिन से 00-03-10 धुर जमीन अधिक प्राप्त हुआ है। परन्तु आवेदक मु0 कलीमुद्दिन के द्वारा दाग नं0-521 के अन्तर्गत 00-17-16 धुर जमीन का नामान्तरण करवाया गया है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाँच एवं पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मु0 शमीम इकबाल को सिर्फ पुत्रियाँ है। तीसरी पुत्री लुबना इकबाल की शादी मु0 नुरूल्लाह अनवर साकिन लकड़मारा के साथ हुई है। मु0 शमीम इकबाल ने अपनी पुत्री लुबना इकबाल को घर बनाने एवं बसोवास करने हेतु दाग नं0-521 के अन्तर्गत 00-03-00 धुर(तीन कट्ठा) जमीन दिया है, जिसपर मकान बना कर उनकी पुत्री लुबना इकबाल अपने बच्चे एवं पति के साथ रह रही है। विपक्षी मु0 खुर्शीद, मु0 शमीम इकबाल की पुत्री लुबना इकबाल के ससुर लगते हैं, जो ग्राम लकड़मारा के वासी हैं, जिन्हें आवेदक मु0 कलीमुद्दिन ने उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-डोय नं0-321 जमाबंदी सं0-11 कुल रकवा 401-18-01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख कमरूद्दिन वल्द शेख दयाली कौम शेख शाकिन देह के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0-11 के दाग नं0-521 के अंदर रकवा 00-02-00 धुर जमीन से उत्तरवादी मु0 खुर्शीद को उच्छेद करने के लिए अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यालालय में आवेदन दाखिल किया था। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज था। अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत के पोता मु0 शमीम इकबाल ने अपनी पुत्री लुबना इकबाल को घर बनाने एवं बसोवास हेतु दाग नं0-521 के अंदर रकवा 00-03-00 धुर जमीन दिया है, जिसपर मकान बनाकर उनकी पुत्री लुबना इकबाल सपरिवार रह रही है। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी मु0 खुर्शीद, लुबना इकबाल की ससुर है। इससे यह स्वत्व का मामला प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–158 / 2016–17 में दिनांक–03.02.2018 के आदेश को बनाये रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

03.03.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

03.03.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:25:17 +05:30
Location: 192.168.29.8